

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11062020-219888  
SG-DL-E-11062020-219888

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                    |                           |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| सं. 111] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2020/ज्येष्ठ 21, 1942 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 46 |
| No. 111] | DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2020/JYAISHTHA 21, 1942  | [N.C.T.D. No. 46          |

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-I) विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2020

संख्या 13/2019-राज्य कर (दर)

सं.फा. 3(9)/वित्त(राजस्व- I )/ 2020-21/डी.एस. VI/ 181-दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व- I ) की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं. फा. 3(15)/ वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डी.एस. VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उपवाक्य (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)

"(कक) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई ऐसा विद्युत चालित वाहन, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है ; या  
**स्पष्टीकरण-** इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 87 के अधीन आता है, और जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है ।";।

(2) यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

रविन्द्र कुमार उप सचिव-VI (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 3(15)/ वित्त(राजस्व-I)/ 2017-18/डी.एस. VI/380 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 01.06.2020 सं. फा. 3(3)/वित्त(राजस्व-I)/ 2020-21/डी.एस. VI/166 दिनांक 01.06.2020, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

### Notification

Delhi, the 10<sup>th</sup> June, 2020

### No. 13/2019- State Tax (Rate)

**No.F3(9)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-VI/181**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-I), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F.3( 15 )/Fin(Rev-1)/2017-18/DS-VI/380 dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 22, in the entries in column (3), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: —

| (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>‘(aa) to a local authority, an Electrically operated vehicle meant to carry more than twelve passengers; or<br/><i>Explanation.</i>— For the purposes of this entry, “Electrically operated vehicle” means vehicle falling under Chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which is run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicle.’.</p> |

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of August, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: -The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* Notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, *vide* No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by Notification No.04/2019 – State Tax (Rate), dated the 1<sup>st</sup> June, 2020 *vide* number No. F.3(3)/Fin(Rev-1)/2020-21/DS-VI/166 dated the 1<sup>st</sup> June, 2020.